XII Class Permanent Recognition

21

प्रेषक

निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी
गुड़गांवा

यादी क्रमांक 4/1-4-95 सै0शि0(1)

दिनांक चण्डीगढ़

विषय 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली शुरू करने की अनुमति प्रदान करना।

विभागीय विद्यालय निरीक्षण कमेटी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट/ सिफारिश को देखते हुए ---- [illegible] ---- (1-4-97) ---- को शैक्षिक सत्र 1997-98, से 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली में जमा 1 तथा जमा 2 कक्षाओं में आर्टस, कामर्स ~~साइंस~~ विज्ञान संकाय प्रारम्भ करने की स्थाई अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1 सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली हेतु राज्य सरकार/ विभाग से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता / अनुदान/ पद इत्यादि की मांग नहीं करेंगे और इस बारे नार्म अनुसार छात्र/ छात्राओं को वांछित सभी आवश्यक साधन/सुविधाएँ अपने खर्चे पर ही उपलब्ध करायेंगे।

2 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली की सम्बन्धित कक्षाओं के लिए प्राध्यापक वर्ग की नियुक्ति विभागीय मापदण्ड अनुसार [illegible] एम0ए0/एम0एस0सी0/एम0कॉम0 [illegible] सम्बन्धित विषय में लगाया जाये जिन्होंने कम से कम 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हों तथा सह-शिक्षण के लिए [illegible] इसी प्रकार अन्य पदों पर नियुक्तियाँ भी हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताओं/ शर्तों के अन्तर्गत की जायेंगी।

3 सभी छात्र/ छात्राओं के लिए फर्नीचर इत्यादि का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाये।

4 जमा एक तथा दो कक्षाओं के लिए नियुक्त स्टाफ नियमानुसार की जायेगी तथा प्रबन्धक उनको पूरा वेतन अपने साधनों से भुगतान करेंगे, इसके लिए सरकार से किसी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं की जायेगी।

5 विद्यालय को हरियाणा एजूकेशन कोड की सभी शर्तों का पालन करना होगा।

6 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली में केवल वही विषय अथवा संकाय शुरू किये जायेंगे जिनकी टीचिंग/ लर्निंग के लिए आवश्यक साधन/ सुविधाएँ विद्यालय में उपलब्ध हों तथा जिनकी अनुमति विभाग द्वारा दी गई हो.

Manager
M M Public School
Sector-4, Urban Estate
Gurugram-122001 (Hr.)
Affiliation No. 530579

7 सरकार/विभाग/हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा समय-2 पर जो निर्देश का पालन किया जायेगा।

8 सरकार की हिदायतों अनुसार आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा।

9 प्रवेश हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड नियमों द्वारा जारी हिदायतों अनुसार किया जायेगा।

10 यह भी सुनिश्चित किया जाये कि विद्यालय के पुस्तकालय में प्रति छात्र 6 के हिसाब से पुस्तकें उपलब्ध हों।

11 स्टाफ का वेतन बैंक चैक के द्वारा ही दिया जायेगा।

12 हरियाणा शिक्षा विभाग/हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुस्तकें ही विद्यालय में पढ़ाई जायेंगी।

13 सुरक्षा में स्टाफ का तीन मास के वेतन के बराबर राशि जिला शिक्षा अधिकारी के नाम बैंक में जमा करवाई जायेगी।

14 विभाग द्वारा अनुमति किसी भी समय नोटिस देकर वापिस ली जायेगी।

उप निदेशक स्कूली शिक्षा
कृते निदेशक स्कूली शिक्षा हरियाणा

पृष्ठांकन क्रमांक सम दिनांक 10-9-97

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1 प्रबन्धक [illegible] विद्यालय, [illegible] U.E. गुड़गांव

2 सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी।

10/9/97
उप निदेशक स्कूली शिक्षा
कृते निदेशक स्कूली शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़

Attested
Principal
Maru Mal Boys Sr. Sec. School
Sector-4, U.E. Gurgaon.
20/11/97

Manager
M M Public School
Sector-4, Urban Estate
Gurugram 122001 (Hr.)
Affiliation No. 530679